न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 01/2021/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 22.02.2021
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. धन्नालाल पुत्र मांग्या जाति धोबी (मृतक) जरिये का0 मु. –
   1/1. मांगी बाई पत्नी धन्नालाल जाति धोबी
   1/2. हरिओम मेरोठा पुत्र धन्नालाल जाति धोबी
   1/3. विष्णु प्रसाद पुत्र धन्नालाल जाति धोबी
   1/4. शंभुदयाल पुत्र धन्नालाल जाति धोबी
   1/5. नन्देश पुत्र धन्नालाल जाति धोबी
   निवासीगण ग्राम बिलेंण्डी तहसील छीपाबडौद जिला बारां–राज.
   1/6. मन्जू मेरोठा पत्नी हंसराज जाति धोबी निवासी नेहरू नगर, रामधाम कोलोनी छबडा जिला बारां–राज.
2. मथुरालाल पुत्र मांग्या जाति धोबी निवासी ग्राम बिलेंण्डी तहसील छीपाबडौद जिला बारां–राज

.....अपीलान्ट

::: बनाम :::

1. गुलाब बाई पुत्री मंग्या जाति धोबी निवासी ग्राम बिलेंडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां, राजस्थान
2. गौरा बाई पुत्री मांग्या जाति धोबी निवासी ग्राम बिलेंण्डी तहसील छीपाबडौद जिला बारा–राज (मृतक) जरिये का.मु.–
   2/1. रूपचन्द पुत्र गौरा बाई जाति धोबी
   2/2. राधाकिशन पुत्र गौरा बाई जाति धोबी
   2/3. कंचन बाई पुत्री गौरा बाई जाति धोबी
   निवासीगण ग्राम बिलेंण्डी तहसील छीपाबडौद जिला बारां
3. ग्राम पंचायत ग्राम बिलेण्डी, तहसील छीपाबडौद जिला बारां
4. राजस्थान सरकार, तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक – अपीलांट
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र.1
श्री साबिर खान, अभिभाषक – रेस्पो. क्र. 2

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

::निर्णय::

दिनांक 18.09.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद, जिला बारां द्वारा प्रकरण संख्या 08/2017 बउनवान गुलाबबाई बनाम धन्नालाल में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2020 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 गुलाबबाई के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदार मांग्या पुत्र नारायण के फौती इन्तकाल संख्या 255 दिनांक 17.06.1987 ग्राम बिलेण्डी के विरूद्ध अपील पेश कर कानूनी त्रुटिया होना वर्णित करते हुए बिना हक त्याग के बहिनों का नाम हटाकर हक से मेहरूम किये जाने का उल्लेख कर गुलाबबाई एवं गोराबाई दोनों बहिनों का नाम जोड़े जाकर पुनः फोती इन्तकाल दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ोद के द्वारा निर्णय दिनांक 29.12.2020 से उक्त आशय की अपील आंशिक स्वीकार कर इंतकाल संख्या 255 को खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार छीपाबड़ोद को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि विवादित आराजी वाके ग्राम बिलेण्डी के खसरा सं0 524 रकबा 1.15 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं0 172 रकबा 14.15 बीघा की 1/2 हिस्से के खातेदार मांग्या की पुश्तैनी आराजीयात का फोती नामांतरकरण मांग्या के वारिसान की जांच कर पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करे।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2020 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा इंतकाल संख्या 255 दिनांक 17.06.1987 ग्राम पंचायत बिलेण्डी के विरूद्ध करीब 32 वर्ष बाद अपील पेशक किये जाने के बावजूद उक्त कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा न. 524 की 1 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण एवं खसरा न. 172 की 14 बीघा 15 बिस्वा का हिस्सा मांग्या का था तथा खातेदार मांग्या की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 की सहमति से मांग्या खातेदार का फोती इंतकाल न. 255 दिनांक 17.06.1987 को सम्पूर्ण जाँच पड़ताल के बाद रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 की जानकारी में खोला गया। यदि उन्हें कोई

आयुक्त
कोटा

आपत्ति थी तो अवधि मध्य अपील करना चाहिए था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर ही खारिज करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट को केवल मात्र खातेदार मांग्या की पुत्री होना मानकर अपील स्वीकार कर ली जो अवैधानिक है, ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल की पुश्त पर साफ लिखा था की मांग्या की पुत्री गौराबाई ने हाजिर होकर पंचायत की कोरम के समक्ष लिखित तहरीर पेश की गई कि वह दोनों भाइयों के हक में हक छोड़ रही है एवं गुलाब बाई पुत्री मांगीलाल की और से ग्राम पंचायत बापावर कलां द्वारा तस्दीकशुदा प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसमे अपने भाइयों के पक्ष में अपना हक छोड़ना लिखा हुआ पेश किया गया है। इस प्रकार सारी जाँच पड़ताल के बाद ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 किसी भी तरह की करवाई के लिए एस्टॉप्ड थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर भी निर्णय पारित किया है की बिना आई.एल.आर. की रिपोर्ट के नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जबकि नामान्तरकरण पर सर्किल सास्थल की रिपोर्ट लगी हुई है एवं पटवारी की भी रिपोर्ट लगी हुई है। वादग्रस्त नामांतरकरण सम्पूर्ण जाँच पड़ताल के बाद ही विधिवत रूप से कोरम के समक्ष सरपंच द्वारा तस्दीक किया हुआ है, जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी। विवादित आराजी के मामले में रेस्पोडेंट गुलाबबाई एवं गौराबाई का हक व अधिकार बनता है की नहीं यह बिंदु नियमित वाद में ही तय किया जा सकता है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही में करीब 32 वर्ष बाद हक तय नहीं किया जा सकता। अधिकार के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में दावा करना चाहिए था, परन्तु इस बिंदु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। निर्णय के मुताबिक रेस्पोडेंट क्रम 3 गौराबाई पुत्री मांग्या का देहांत करीब 20 वर्ष पूर्व हो चूका था। रेस्पोडेंट गुलाबबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मृतक गौराबाई के कायम मुकाम बनाये बिना ही अपील प्रस्तुत कर दी जबकि कानूनन मृतक व्यक्ति के विरुद्ध अपील पेश नहीं कि जा सकती एवं कायम मुकाम बनाने की कार्यवाही तब ही की जा सकती है, जब दौराने अपील किसी पक्षकार की मृत्यु हुई हो ऐसी स्थिति में अपील इसी आधार पर खारिज करना चाहिए था। विवादित भूमि के अवाप्त होने की कार्यवाही की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट गुलाबबाई व गौराबाई के हक व अधिकार का निर्धारण नियमित वाद की कार्यवाही पर ही हो सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में टाइटल का बिंदु तय नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.12.2020 निरस्त फरमाया जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में मृतक खातेदार मांग्या का 1/2 हिस्सा निहित था। मांग्या की मृत्यु होने के उपरांत फोती इंतकाल संख्या 255 दिनांक 17.06.1987 खोला गया। ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल की पुश्त पर साफ लिखा था की मांग्या की पुत्री गौराबाई ने हाजिर होकर पंचायत की कोरम के समक्ष लिखित तहरीर पेश की गई कि वह दोनों भाइयों के हक में हक छोड़ रही है एवं गुलाब बाई पुत्री मांगीलाल की ओर से ग्राम पंचायत बापावर कलां द्वारा तस्दीकशुदा प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसमे अपने भाइयों के पक्ष में अपना हक छोड़ना लिखा हुआ पेश किया गया है। इस प्रकार सारी जाँच पड़ताल के बाद ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 32 वर्ष बाद के असाधारण विलम्ब के संबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2024(2) RRT 1212, 2024(2) RRT 1094** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि पंचायत के लिखने मात्र से हक त्याग नहीं हो सकता है। उक्त हक त्याग को रजिस्टर्ड करवाया जाना आवश्यक हैं। मृतक खातेदार के फोती इंतकाल खोले जाने से पूर्व सभी विधिक वारिसान की सुनवाई किया जाना आवश्यक है। यदि खोला गया नामांतरकरण विधि अनुसार नहीं है अथवा बिना सुनवाई के खोला गया है तो अवैधानिक नामांतरकरण के संबंध में मियाद का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार के अवैधानिक आदेशों को किसी भी समय पर चैलेंज किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हकत्याग के आधार पर आराजी का अंतरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RBJ(4) Page 178, RBJ(5) 1998 Page 44, RRD 14-07-2008 Page 474, RBJ(18) 2011 Page 225, RRD 1982 Page 595, RRT 2018-19(Supp.) Page 145,** पेश किये।

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मृतक खातेदार मांग्या की पुश्तेनी आराजीयात का फोती नामांतरण मांग्या के वारिसान की जांच कर पुनः नामांतररण खोले जाने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ोद को प्रकरण प्रतिप्रषित किया गया है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

7. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र. 1 गुलाबबाई के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदार मांग्या पुत्र नारायण के फौती इन्तकाल संख्या 255 दिनांक 17.06.1987 ग्राम बिलेण्डी के विरूद्ध अपील पेश कर गुलाबबाई एवं गोराबाई दोनों बहिनों का नाम जोड़े जाकर पुनः फोती इन्तकाल दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ोद के द्वारा निर्णय दिनांक 29.12.2020 से इंतकाल संख्या 255 को खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार छीपाबड़ोद को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि विवादित आराजी वाके ग्राम बिलेण्डी के खसरा सं0 524 रकबा 1.15 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं0 172 रकबा 14.15 बीघा की 1/2 हिस्से के खातेदार मांग्या की पुश्तैनी आराजीयात का फोती नामांतरकरण मांग्या के वारिसान की जांच कर पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करे। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 32 वर्ष बाद के असाधारण विलम्ब के संबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध हैं। वादग्रस्त नामांतरकरण के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल की पुश्त पर साफ लिखा था की मांग्या की पुत्री गौराबाई ने हाजिर होकर पंचायत की कोरम के समक्ष लिखित तहरीर पेश की गई कि वह दोनों भाइयों के हक में हक छोड़ रही है एवं गुलाब बाई पुत्री मांगीलाल की ओर से ग्राम पंचायत बापावर कलां द्वारा तस्दीकशुदा प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसमे अपने भाइयों के पक्ष में अपना हक छोड़ना लिखा हुआ पेश किया गया है। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि मृतक खातेदार के फोती इंतकाल खोले जाने से पूर्व सभी विधिक वारिसान की सुनवाई किया जाना आवश्यक है। यदि खोला गया नामांतरकरण विधि अनुसार नहीं है अथवा बिना सुनवाई के खोला गया है तो अवैधानिक नामांतरकरण के संबंध में मियाद का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार के अवैधानिक आदेशों को किसी भी समय पर चैलेंज किया जा सकता है।

अति॰ संभा॰ आयुक्त
कोटा

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रकरण में 32 वर्ष का अत्यधिक विलम्ब होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 प्रार्थना–पत्र का निर्णय नहीं करना त्रुटिपूर्ण होना प्रकट होता है। इस संबंध में प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण **RRT2024(2) Page 1213** में प्रतिपादित किया गया है कि ***Before passing any order on merits, application under Section 5 of the Limitation Act is required to be decided.***

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में धारा–5 प्रार्थना–पत्र को निर्णित नहीं किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। जबकि गुणावगुण पर आदेश पारित करने से पूर्व पहले मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र को निर्णित करना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2020 विधि विरूद्ध होने से न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद, जिला बारां द्वारा प्रकरण संख्या 8/2017 बउनवान गुलाबबाई बनाम धन्नालाल में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2020 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते हुए वादग्रस्त आराजी के संबंध में उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर 6 माह में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के समक्ष दिनांक 12.11.2025 को उपस्थित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

18/09/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. सं. आयुक्त
कोटा